न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट चीडवा)

पीठासीन अधिकारी : श्री बालकृष्ण तिवाडी आरएएस

मुकदमा नं0 1/194 /15 निर्णय दिनांक : 24.05.2017

उनवान

1. रामसिंह पुत्र श्री ग्यासी जाति जाटव निवासी ग्राम खैरथला तहसील रामगढ जिला अलवर।

..............................वादी

बनाम

1. आसू पुत्र श्री उमर खां जाति मेव निवासी खैरथला तह0 रामगढ जिला अलवर।
2. रमेश पुत्र नमालूम जाति गुर्जर निवासी नौगावां तहसील रामगढ ।
3. सुशीला पत्नी राजेन्द्र
4. जैन खां पुत्र हिम्मत खां जाति मेव निवासी खैरथला तहसील रामगढ।
5. वकीला पत्नी मौसम खां जातियान मेव निवासी ग्राम आलमपुर तहसील रामगढ।
6. लियाकत पुत्र जैन खां जाति मेव
7. नियाजु पुत्र सुबाना निवासियान शेरपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।

.... प्रतिवादी

(अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र धारा 188 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 266 रकबा 0.58 हैक्ट0 वाके ग्राम खैरथला तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी वादी की रिकोर्डेड कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस पर वादी का मौके पर कब्जा है तथा राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार नही है। ना ही प्रतिवादीगण विवादित आराजी पर काबिज है जो गैर काबिज गैर वास्ता शख्स है। प्रतिवादीगण वादी की आराजी पर जबरन कब्जा करने की फिराक में है। जिसका प्रतिवादी को कोई अधिकार नही है। प्रतिवादी वादी की आराजी को अपने कब्जे में लेना चाहते है। प्रतिवादीगण आये दिन झगडा करते है। इसलिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि आराजी खसरा नम्बर 266 रकबा 0.58 हैक्ट0 वाके ग्राम खैरथला से वादी को जबरन बेदखल कर कब्जा नही करें, वादी के कब्जे काश्त में बेजा रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें व किसी प्रकार का अतिक्रमण व अतिचार ना करें, निर्माण कार्य न करे, डोल इत्यादि ना काटे व मोके की शक्ल तब्दील न करें।

काबिज है। जो गैर काबिज गैर वास्ता शख्स है, परन्तु प्रतिवादीगण मुंह जोर व खूंखार किस्म के लडाकू शख्स है जिन्होने एक नाजायज

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत चीडवा में दिनांक 24.05.2017 को पेश हुई। वादी स्वयं उपस्थित तथा प्रतिवादी बावजूद सूचना अनुपस्थित। वादी को सुना गया। पत्रावली का लोक अदालत शिविर / कैम्प कोर्ट चीडवा में दिनांक 24.05.2017 को अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी सम्वत 2069–72 के आधार पर वादी रिकार्डेड खातेदार है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 266 रकबा 0.58 हैक्ट0 वाके ग्राम खैरथला से वादी को जबरन बेदखल कर कब्जा नही करें, वादी के कब्जे काश्त में बेजा रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें व किसी प्रकार का अतिक्रमण व अतिचार ना करें, निर्माण कार्य न करे, डोल इत्यादि ना काटे व मौके की शक्ल तब्दील न करें। इसी प्रकार पर्चा डिक्री बनायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत चीडवा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। ना ही प्रतिवादीगण विवादित आराजी पर
काबिज है। जो गैर काबिज गैर वास्ता शख्स है, परन्तु प्रतिवादीगण
मुंह जोर व

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट चीडवा)

पीठासीन अधिकारी : श्री बालकृष्ण तिवाडी आरएएस

मुकदमा नं0 1/194 /15

निर्णय दिनांक : 24.05.2017

उनवान

1. रामसिंह पुत्र श्री ग्यासी जाति जाटव निवासी ग्राम खैरथला तहसील रामगढ (अलवर)।
...............................वादी

बनाम

1. आसू पुत्र श्री उमर खां जाति मेव निवासी खैरथला तह0 रामगढ जिला अलवर।
2. रमेश पुत्र नमालूम जाति गुर्जर निवासी नौगावां तहसील रामगढ ।
3. सुशीला पत्नी राजेन्द्र
4. जैन खां पुत्र हिम्मत खां जाति मेव निवासी खैरथला तहसील रामगढ।
5. वकीला पत्नी मौसम खां जातियान मेव निवासी ग्राम आलमपुर तहसील रामगढ।
6. लियाकत पुत्र जैन खां जाति मेव
7. नियाजु पुत्र सुबाना निवासियान शेरपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।

.... प्रतिवादी

(अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट)

पर्चा डिक्री

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 266 रकबा 0.58 हैक्ट0 वाके ग्राम खैरथला से वादी को जबरन बेदखल कर कब्जा नही करें, वादी के कब्जे काश्त में बेजा रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें व किसी प्रकार का अतिक्रमण व अतिचार ना करें, निर्माण कार्य न करे, डोल इत्यादि ना काटे व मौके की शक्ल तब्दील न करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 24.05.2017 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)